राजस्थान सरकार

गोपालन विभाग

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )/निगो/गोपंनसु/मु.मं. ब.घो./2016/ दिनांकः– 23/11/16

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषय :– गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 तथा सृजित निधि के उपयोग के सम्बन्ध में गौशालाओं में आवासित गौवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि के वितरण के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश भिजवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के अंतर्गत गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर लगाये गये अधिभार के उपयोग हेतु गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 (प्रति संलग्न) तथा सृजित निधि के उपयोग के सम्बन्ध में गौशालाओं में आवासित गौवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि के वितरण के सन्दर्भ में दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त सहायता राशि के वितरण का क्रियान्वयन नियमानुसार व निर्देशानुसार सुनिश्चित करावे।

इस सहायता राशि के वितरण में गौवंश के लिए दिनांक 01.12.2016 को गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित वास्तविक गौवंश की संख्या को प्रथम 45 दिवस की सहायता राशि का आधार तथा दिनांक 15.01.2017 को संधारित वास्तविक गौवंश की संख्या अथवा दिनांक 01.12.2016 को संधारित गौवंश **जो भी कम हो**, को आगामी 45 दिवस की सहायता राशि की गणना का आधार माना जाये। **इसके लिए जिले में स्थित समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार/विकास अधिकारी एवं उनके अधीन अधिकारी/कर्मचारी तथा पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से जिले की समस्त गौशालाओं/कांजी हाऊस तथा उनमें दिनांक 01.12.2016 को संधारित वास्तविक गौवंश का भौतिक सत्यापन दिनांक 03.12.2016 तक करा लिया जावे।**

उक्त दिशानिर्देशों की तत्परता से पालना सुनिश्चित करावे ताकि गौशालाओं/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि का वितरण पारदर्शिता एवं सुगमता से नियमानुसार किया जा सके।

संलग्न :– 1. गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016.
2. गौशालाओं/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि के वितरण के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश।

23/11

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )/निगो/गोपंनसु/मु.मं. ब.घो./2016/ दिनांकः– 23/11/16

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ।

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।

प्रतिलिपि :– पालनार्थ।

1. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दिशानिर्देशों की तत्परता से पालना सुनिश्चित करावे।
2. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 की प्रति एवं गौशालाओं/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि के वितरण के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि नियम एवं दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करे एवं जिला कलक्टर से संपर्क स्थापित कर जिले की समस्त गौशालाओं/कांजी हाऊस तथा उनमें दिनांक 01.12.2016 को संधारित वास्तविक गौवंश का भौतिक सत्यापन दिनांक 03.12.2016 तक करा गौशाला/कांजी हाऊसवार सूचना बजट आवंटन हेतु निदेशक गोपालन, राजस्थान जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

   संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

शासन सचिव